गरमा मौसम 2022-23 में विभिन्न फसलों के बीज अनुदानित दर पर उपलब्धता से संबंधित सूचना

बिहार सरकार
कृषि विभाग

सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग अन्तर्गत बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से गरमा मौसम 2022–23 की विभिन्न योजनाओं में गरमा फसलों के बीज अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न गरमा फसलों यथा– मूंग, उड़द, सूर्यमुखी आदि के बीज प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in या बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in पर बीज हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 04 जनवरी से 15 फरवरी, 2023 तक कर सकते हैं। किसान सुविधा अनुसार किसी **Android Mobile/ Computer/** कॉमन सर्विस सेन्टर / वसुधा केन्द्र / साईबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि:– 15 फरवरी, 2023

गरमा 2022–23 में ऑनलाईन आवेदन हेतु राज्य योजना में उपलब्ध फसलों के बीज एवं देय अनुदान दर तालिका

क्र0	फसल का नाम	बीज की कोटि	अनुमानित मूल्य रू॰ प्रति कि0ग्रा0	कार्यक्रम / घटक में अनुदान की विवरणी विशेष दलहन एवं तेलहन बीज वितरण कार्यक्रम
1	मूंग	प्रमाणित	118.40	मूल्य का 80% या रू0 95 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।
2	सूर्यमुखी	प्रमाणित / संकर	400.00	मूल्य का 80% या रू0 320 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।
3	उड़द	प्रमाणित	125.00	मूल्य का 80% या रू0 100 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।

किसानों के घर तक बीज पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था है। ऑनलाईन आवेदन में होम डिलीवरी का विकल्प चयनित करने वाले किसानों के घर तक सशुल्क बीज पहुँचाया जायेगा। किसान को होम डिलीवरी में बीज आपूर्ति होने पर 5.00 रू0 प्रति कि॰ग्रा॰ की दर से अलग से भुगतान करना होगा।

कृषि विभाग के DBT पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in / बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन जाँचोपरान्त कृषि समन्वयक द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को भेजेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात् सॉफ्टवेयर से एक OTP किसान को प्राप्त होगा। कृषि समन्वयक द्वारा बीज प्राप्ति स्थान के संबंध में सूचना आपको दी जायेगी। निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना OTP बताकर अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त करेंगे।

नोटः किसान अपने निकटतम कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ ले सकते हैं।

कृषि निदेशक
बिहार, पटना